

संख्या-6971/2001/15-7-16/1304/92

प्रेम,

अखिलेश चन्द गुप्त,
अन सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समदाय केन्द्र,
प्रोति बिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ, दिनांक: 18 जून, 2002

विषय:-

श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से

सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबद्धताओं के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत संस्थापिका का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फोर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

Handwritten signature in green ink.

PRINCIPAL
Shri Guru Ram Rai Public School
Branch-Ghaziabad (U.P.)

Handwritten signature in blue ink.

MANAGER
Shri Guru Ram Rai Public School
Branch-Ghaziabad (U.P.)

15। संस्था ऐतिहिक एवं विशिष्टतार कर्मचारियों को राजकीय सहयता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहयता प्राप्त असासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चुन या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

~~भवदीय~~

॥ अश्विनी चन्द्र गुप्ता ॥
अनुसचिव।

6971/ 2001

20/10/15-7-तददिनांक

PRINCIPAL
Shri Guru Ram Rai Public School
Branch-Ghaziabad (U.P.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गाजियाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक,
- 4- निरीक्षक अंजल भारतीय विद्यालय, 3090, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गाजियाबाद।
- 6- गार्ड फाइल।

MANAGER

Shri Guru Ram Rai Public School
Branch-Ghaziabad (U.P.)

॥ अश्विनी चन्द्र गुप्ता ॥
अनुसचिव।